कुमाऊँ विश्वविद्यालय

के परिसरों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों का

छात्रसंघ संविधान

सत्र 2009-10 से प्रभावी

अनुक्रमणिका

अनुच्छेद		पृ० सं०
	प्रस्तावना	
1-	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	3
2-	संविधान में प्रयुक्त शब्दावली का भावार्थ	3
3-	छात्रसंघ से सम्बन्धित सामान्य जानकारियाँ	5
4-	छात्रसंघ का स्वरूप	7
5-	कार्यकारिणी में पदाधिकारियों की अर्हता	8
6-	सम्वद्धमहाविद्यालयों/विश्वविद्यालय परिसर में अशान्त वातावरण में निर्वाचन पद्धति	15
7-	सामान्य परिस्थितियों में निर्वाचन पद्धति	16
8-	निर्वाचन प्रक्रिया की आवृत्ति और अवधि	19
9-	निर्वाचन प्रक्रिया	20
10-	नामांकन दाखिल करना एवं नामांकन वापसी	21
11-	मतदान प्रक्रिया	24
12-	मतगणना प्रक्रिया	26
13-	पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य	28
14-	बैठकें तथा कार्य विधि	30
15-	छात्रसंघ कोष तथा उसका उपयोग	31
16-	छात्रसंघ पदाधिकारियों, सदस्यों और निर्वाचन प्रकासन के लिए आचार संहिता	32

17-	शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	36
18-	निर्वाचन प्रक्रिया के समय परिसर में विधि और व्यवस्था बनाये रखना	40
19-	विविध-अविश्वास प्रस्ताव, निलम्बन/पदच्युत, छात्रसंघ को भंग करना, व्यावसायिक संगठनों की सहायता से नेतृत्व प्रशिक्षण, बड़े पदाधिकारियों के पद रिक्त होने पर व्यवस्था और छात्र प्रतिनिधि का सर्वांगीण विकास के लिए संविधि में छात्रसंघ प्रावधानों को सम्मिलित किया जाना।	40
20-	सुरक्षा व्यवस्था	42
	परिशिष्ट	43

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1-इसका नाम कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय छात्रसंघ संविधान है।

2-इसका विस्तार कुमाऊँ विश्वविद्यालय, के समस्त परिसरों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों पर है।

3-यह संविधान विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के द्वारा पारित तथा प्रवर्तन की घोषणा की तिथि से लागू होगा।

2. संविधान में प्रयुक्त शब्दावली का भावार्थ

(क) आयु में समुचित छूट	व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अवधि की तद्नुरूप छूट, लेकिन सम्बन्धित पाठ्यक्रम 4-5 वर्ष की अवधि का होना अनिवार्य होगा।
(ख) पदाधिकारी	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष छात्रा, सचिव, संयुक्त सचिव तथा कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित विद्यार्थी।
(ग)कार्यकारिणी	विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, संकाय प्रतिनिधियों और/अथवा नामित सदस्यों की सम्मिलित सभा।
(घ) कोई भी छात्र	मत देने के लिए अधिकृत, विश्वविद्यालय परिसर/सम्बद्धमहाविद्यालय का संस्थागत अर्ह छात्र।
(ङ) गत वर्ष	वर्तमान शिक्षा सत्र से ठीक पिछला सत्र।
(च) छात्रसंघ प्रभारी	शिक्षा सत्र के दौरान छात्रसंघ के कार्य और

	क्रियाकलापों के संचालन तथा देखरेख हेतु संस्थाध्यक्ष द्वारा नियुक्त प्राध्यापक।
(छ) निर्वाचन समिति	छात्रसंघ निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न कराने वाली संस्थाध्यक्ष द्वारा गठित समिति।
(ज) प्रॉविजनल प्रवेश	सशर्त (कन्डीशनल) प्रवेश।
(झ) प्रशासन	विश्वविद्यालय, परिसर तथा महाविद्यालय का प्रशासन।
(य) बड़े पदों का रिक्त होना	अध्यक्ष अथवा सचिव के पद का रिक्त होना से है।
(ट) मतदाता सूची	सम्बन्धित संस्था में वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रवेश प्राप्त समस्त संस्थागत छात्र/छात्राओं की कक्षावार सूची (शोध छात्र/छात्राओं को छोड़कर)।
(ठ) विहित व्यय	छात्रसंघ चुनाव में प्रत्याशी द्वारा किया जाने वाला कुल व्यय रूपये 5,000.00 (पाँच हजार) से अधिक नहीं।
(ड) विश्वविद्यालय	कुमाऊँ विश्वविद्यालय
(ढ) शासन	उत्तराखण्ड सरकार/शासन
(ण) शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	नियमावली के अनुरूप विधिक रूप से गठित छात्रसंगठन के निर्वाचन सम्बन्धी शिकायतों पर विनिश्चय, आदेश अथवा व्यवस्था देने की शक्ति प्राप्त प्रकोष्ठ।
(त) शैक्षणिक अवक्षेप	किसी भी शैक्षणिक सत्र अथवा समेस्टर में बैक पेपर होना।
(थ) शैक्षिक सत्र/शिक्षासत्र	सामान्यतः 01 जुलाई से अगले वर्ष 30 जून

	तक की अवधि।
(द) संविधान	छात्रसंघों की निर्वाचन प्रक्रिया तथा उनके कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों का संकलन।
(ध)संस्था/शिक्षण संस्था	कुमाऊँ विश्वविद्यालय के परिसर एवम् सम्बद्ध महाविद्यालय।
(न)	संस्था के अध्यक्ष का संकाय प्रतिनिधि तथा छात्रसंघ पदाधिकारियों के निर्वाचन संबंधी विवादों अपीलीय क्षेत्राधिकार के विषय में अपीलीय क्षेत्राधिकार विश्वविद्यालय परिसर में संस्थाध्यक्ष तथा महाविद्यालय में प्राचार्य के पास होगा।

3. छात्रसंघ से सम्बन्धित सामान्य जानकारियाँ

नाम	छात्रसंघ का नाम परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय छात्रसंघ होगा।
सदस्यता	संस्था का प्रत्येक संस्थागत नियमित छात्र/छात्रा (शोध छात्र/छात्रा को छोडकर) सम्बन्धित संस्था के छात्रसंघ का सामान्य सदस्य होगा/होगी।
सदस्यता शुल्क	सम्बन्धित संस्था के प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्रवेक्ष लेते समय निर्धारित छांत्रसंघ सदस्यता शुल्क लिया जायेगा।
कार्यकाल	छात्रसंघ कार्यकारिणी का कार्यकाल उस सत्र के छात्रसंघ गठन की तिथि से अगले वर्ष 30